वस्त्र मंत्रालय

बनाम

मुरारी लाल गुप्ता और अन्य

(दीवानी अपील संख्या 2509 सत्र 2008)

अप्रैल 7, 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत और पी सथाशिवम, न्यायमूर्तिगण]

श्रम विधियों में औद्योगिक विवाद की प्रकृति का निर्देश – रिट याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेशों के अनुक्रम में – औद्योगिक अधिकरण द्वारा पिछले वेतन के साथ पुर्ननियुक्ति के निर्देश – पंचाट जारी करने के बाद जिस योजना के तहत कर्मचारी नियुक्त किया गया था, वह योजना सरकार द्वारा परित्याग कर दी गई - उच्च न्यायालय से औद्योगिक अधिकरण द्वारा जारी पंचाट को लागू करने की विनती की गई - उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश एवं खंडपीठ द्वारा भी पंचाट लागू करने की अपील को स्वीकार किया गया - इस अपील में ये अभिनिर्धारित किया: – पुनर्नियुक्ति एवं पिछले वेतन देय होने के आदेश अपास्त किए गए - इस प्रकरण के विशिष्ट तथ्यों को देखते हुए 50000 रूपये पूर्ण और अंतिम समाधान के रूप में कर्मचारी को भुगतान करने के निर्देश जारी किए गए।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 - धारा 10 - निर्देश (रेफरेंस) अन्तर्गत - निर्णय के लिए – अभिनिर्धारित: ये सरकार के अधिकार क्षेत्र में है कि किसी प्रकरण को निर्देश (रेफरेंस) के लिए भेजे जाने हेतु सरकार ही निर्णय ले - केवल अपवादित मामलों को छोड़कर निर्देश (रेफरेंस) हेतु न्यायालय द्वारा निर्देशित नहीं किया जाना चाहिए।

प्रत्यर्थी द्वारा जो कि अपीलार्थी के यहां "चोकीदार" के रूप में नियुक्त था, के द्वारा सेवा नियमितीकरण के लिए एक प्रतिवेदन संस्थित किया। प्रतिवेदन इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि प्रत्यर्थी आयु सीमा को पार कर चुका था। उसके द्वारा इसके पश्चात एक नोटिस अपीलार्थी को पुनर्नियुक्ति की मांग करते हुए भेजा गया। उसक द्वारा वेतन के भुगतान में अंतर और कार्य की निर्धारित अवधि के पश्चात अतिरिक्त कार्य के लिए भी अलग से वेतन दिए जाने हेतु प्रार्थना पत्र संस्थित किए गए। सुलह प्रक्रिया असफल रही। औद्योगिक विवाद के निर्देश (रेफरेंस) चाहने का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया। उसके द्वारा रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय का सहारा लिया। उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुक्रम में औद्योगिक न्यायालय द्वारा औद्योगिक विवाद का निर्देश (रेफरेंस) ग्रहण किया गया। औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा पिछले वेतन भुगतान के साथ पुनर्नियुक्ति के निर्देश दिए गए। इसके पश्चात जिस योजना के तहत प्रत्यर्थी नियुक्त था, वह योजना सरकार द्वारा परित्याग कर दी गई। प्रत्यर्थी कर्मचारी द्वारा औद्योगिक अधिकरण के आदेश को लागू करवाने हेतु रिट

याचिका संस्थित की गई। नियोक्ता अपीलार्थी के द्वारा भी रिट याचिका संस्थित की गई। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा नियोक्ता की रिट याचिका अस्वीकृत कर दी गई और कर्मचारी की रिट याचिका स्वीकार की गई। नियोक्ता के द्वारा दोनों ही आदेशों के विरूद्ध रिट अपील (एल.पी.ए.) संस्थित की गई। एक एल.पी.ए. वापिस लिए जाने के रूप में अस्वीकृत हो गई, जबकि दूसरी गुणदोष के आधार पर अस्वीकृत हो गई। इन्हीं के विरूद्ध वर्तमान अपील प्रस्तुत हुई है।

अपीलार्थी द्वारा ये तर्क उठाए कि पुनर्नियुक्ति के आदेश देना सही नहीं था और जहां निर्देश (रेफरेंस) हेतु निर्देश विलंब से जारी किए गए ।

न्यायालय द्वारा अपील अंशतः स्वीकार की गई।

अभिनिर्धारितः 1. केवल कुछ आपवादिक प्रकरणों को छोड़कर न्यायालय को निर्देश (रेफरेंस) के लिए औद्योगिक अधिकरणों को निर्देशित नहीं किया जाना चाहिए। यह सरकार के क्षेत्राधिकार में है कि सरकार यह निर्णय करे कि किस प्रकरण में निर्देश (रेफरेंस) होना चाहिए और किन प्रकरणों में निर्देश (रेफरेंस) नहीं किया जाना चाहिए। निर्देश (रेफरेंस) प्रत्यक्षतः मात्र इस आधार पर किया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश (रेफरेंस) किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। यह तथ्यात्मक रूप से सही नहीं था। उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण को पुनर्विचार हेतु निर्देशित किया गया था और वास्तव में निर्देश (रेफरेंस) किए जाने हेतु निर्देशित नहीं किया गया था। (निर्णय का पैरा 4)

2. इस प्रकरण में अपीलार्थी की परियोजना पहले से ही बंद हो जाने के विशिष्ट तथ्यों और प्रत्यर्थी द्वारा रिट याचिका विलंब से संस्थित करने के दृष्टिगत यह निर्देशित किया जाता है कि प्रत्यर्थी को 50000 रूपये अपने दावे के पूर्ण और अंतिम समाधान के रूप में भुगतान किए जावें। प्रत्यर्थी के पुनर्नियुक्ति और पिछले वेतन देय होने बाबत निर्देश अपास्त किए जाते हैं। (निर्णय का पैरा 4 और 7)

मध्यप्रदेश राज्य व अन्य बनाम अर्जुनलाल राजक 2006 (2) एस.सी.सी. 711; नगर परिषद्, सुजानपुर बनाम सुरिंदर कुमार 2006 (5) एस.सी.सी. 173 - निर्णयों का सहारा लिया।

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: दीवानी अपील संख्या 2509 सत्र 2008

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एल.पी.ए. संख्या 1082/2004 के निर्णय एवं आदेश दिनांकित 24.03.2005 से

डी.एस. मेहरा वास्ते अपीलार्थी

अनिथा शिनोय वास्ते प्रत्यर्थी

डा. अरीजित पसायात, न्यायमूर्ति

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. इस अपील में दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के अपीलार्थी द्वारा संस्थित अपील को अस्वीकृत किए जाने के आदेश को चुनौती दी गई। इस अपील के जरिये विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका (दीवानी)

संख्या 4662 सत्र 2002 में पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 21.09.2004 को चुनौती दी गई।

3. रिट याचिका में प्रत्यर्थी के द्वारा इसकी पृष्ठभूमि में जो तथ्य उच्च न्यायालय के समक्ष लाए गए हैं, वह तथ्य आवश्यकत: इस प्रकार है: प्रत्यर्थी कारपेट विविंग ट्रेनिंग सेंटर, भरतपुर राजस्थान में 24.08.1982 को चैकीदार के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रत्यर्थी द्वारा 26.03.1985 को एक प्रतिवेदन अपनी सेवा नियमितिकरण हेतु संस्थित किया गया। यह प्रतिवेदन 20.05.1985 को प्रत्यर्थी की आयु सीमा को पार कर जाने से अस्वीकार कर दिया गया। अपीलार्थी के अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा 06.12.1987 से कार्यालय में उपस्थिति देना बंद कर दिया था और 30.05.1988 को पुनर्नियुक्ति चाहते हुए प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को नोटिस भेजा गया। 03.06.1988 को प्रत्यर्थी द्वारा 24.08.1982 से 05.12.1987 की अवधि के दौरान वेतन में भुगतान के अंतर के लिए एल.ए. संख्या 201 सत्र 1988 एवं 202 सत्र 1988 संस्थित की गई और इसी अवधि के लिए कार्य की निर्धारित अवधि के पश्चात अतिरिक्त कार्य के लिए वेतन के लिए संस्थित किया गया। 05.07.1988 का प्रत्यर्थी के द्वारा सुलह अधिकारी (केन्द्रीय) नई दिल्ली के समक्ष दावे के कथन संस्थित किये गए। सुलह कार्यवाही के प्रयास विफल हो गए और 30.06.1989 को सुलह प्रयास का विफल प्रतिवेदन श्रम मंत्रालय में पेश कर दिया गया।

प्रत्यर्थी द्वारा एक रिट याचिका 1993 में संस्थित की गई। 23.08.1995 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थी की रिट याचिका इस निर्देश (रेफरेंस) के साथ निस्तारित की गई कि प्रत्यर्थी द्वारा संस्थित न्यूनतम मजदूरी और अतिरिक्त समय के मामले लंबित रहने के बावजूद भी यह मामला औद्योगिक अधिकरण को संदर्भित किया जावे। आदेश दिनांक 06.08.1990 के द्वारा पूर्व में भी निर्देश (रेफरेंस) अस्वीकार इस आधार पर किया गया कि मामला न्यायालय में लंबित था। तथापि, उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में निर्देश (रेफरेंस) औद्योगिक विवाद अधिकरण, 1947 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 10 के अन्तर्गत किया गया।

अधिकरण द्वारा पंचाट आदेश दिनांक 09.02.2001 द्वारा प्रत्यर्थी को पुनर्नियुक्ति एवं पिछला वेतन देय रखते हुए पुनर्नियुक्ति के निर्देश दिए। यह भी उल्लेखनीय है कि मामला एकपक्षीय रूप से निर्णित किया गया। सत्र 2002 में जिस योजना के तहत प्रत्यर्थी द्वारा नियुक्त होना बताया गया है, वह योजना भारत सरकार द्वारा परित्याग कर दी गई। 01.08.2002 को प्रत्यर्थी द्वारा रिट याचिका संख्या 4662 सत्र 2002 अधिकरण के आदेश को लागू करवाने हेतु संस्थित की गई। 17.10.2003 को अपीलार्थी द्वारा रिट याचिका संख्या 7707 सत्र 2003 संस्थित की गई। 21.09.2004 के आदेश द्वारा अपीलार्थी द्वारा संस्थित रिट याचिका अस्वीकार की गई जबकि प्रत्यर्थी द्वारा संस्थित की गई रिट याचिका स्वीकार की गई। रिट याचिका संख्या 7707 सत्र 2003 में जारी आदेश के संबंध में एल.पी.ए. संस्थित

की गई। एल.पी.ए. 26 सत्र 2005 जो कि रिट याचिका संख्या 4662 सत्र 2002 के आदेश के विरूद्ध संस्थित की गई। एल.पी.ए. 26 सत्र 2005 वापिस लिए जाने के कारण अस्वीकृत की गई, जो कि इस अपील में चुनौतीग्रस्त आदेश दिनांक 24.03.2005 द्वारा अस्वीकृत की गई।

अपीलार्थी का प्राथमिक आधार यह है कि अपीलार्थी नियोक्ता इकाई बंद की जा चुकी है और जिसके कारण पुनर्नियुक्ति के आदेश जारी नहीं किए जा सकते। इसके अलावा प्रत्यर्थी द्वारा जैसा कि आधार उठाया है कि नवंबर, 1987 में उसकी सेवा समाप्ति हो गई, रिट याचिका अत्यधिक विलंब से संस्थित की गई है और मामले को औद्योगिक अधिकरण को भेजे जाने के लिए भी कोई निर्देश नहीं दिए जा सकते।

दूसरी तरफ प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता का अभिवाक है कि प्रत्यर्थीगण की रिट याचिका स्वीकार की जा चुकी है और इस कारण उच्च न्यायालय द्वारा एल.पी.ए. अस्वीकार किया जाना उचित ही है।

4. रिट याचिका निर्विवाद रूप से लगभग 05 साल बाद संस्थित की गई है। उच्च न्यायालय द्वारा मामले को पुनर्विचार हेतु निर्देशित किया गया था और वास्तव में निर्देश (रेफरेंस) किये जाने के निर्देश नहीं दिये गये थे। केवल कुछ अपवादिक मामलों को छोड़कर निर्देश(रेफरेंस) के लिए आदेश न्यायालय द्वारा नहीं दिए जाने चाहिए। यह सरकार के क्षेत्राधिकार में है कि सरकार यह निर्णय करे कि किस प्रकरण में निर्देश (रेफरेंस) होना चाहिए और किन प्रकरणों में निर्देश (रेफरेंस) नहीं किया जाना चाहिए। निर्देश

(रेफरेंस) प्रत्यक्षतः मात्र इस आधार पर किया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश (रेफरेंस) किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। यह तथ्यात्मक रूप से सही नहीं था। जो भी स्थिति हो, प्रत्यर्थी द्वारा संस्थित रिट याचिका उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकर की गई है, परंतु प्रत्यर्थी जहां नियुक्त था वह परियोजना भारत सरकार द्वारा बंद किए जाने के तथ्य को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। विलंब से रिट याचिका संस्थित किये जाने का तथय भी सुसंगत है।

5. मध्यप्रदेश राज्य व अन्य बनाम अर्जुनलाल राजक 2006 (2) एस.सी.सी. 711;निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया:

> "11. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रत्यर्थी की सेवाएं इस आधार पर सेवा समाप्ति कर दी गई कि जिस उत्पादन इकाई में वह कार्य कर रहा था वह बंद की जा चुकी है, हम यह मत रखते हैं कि न्यायहित के लिए 10000 रूपए मौद्रिक क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदत्त कर दिए जाते हैं तो न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी। तथापि यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि वह उस समयावधि के लिए जिसमें उसने श्रम न्यायालय के अनुक्रम में अथवा इसके अग्रसरण में वास्तविक रूप से कार्य किया है तो ऐसी अवधि के वेतन के लिए वह अधिकृत होगा। श्रम न्यायालय

के पंचाट और उच्च न्यायालय के निर्णय अपास्त किए जाते है।"

6. नगर परिषद्, सुजानपुर बनाम सुरिंदर कुमार 2006 (5) एस.सी.सी. 173, निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया।

"22. हम इस कारण अपील स्वीकार करते हैं और श्रम न्यायालय के निर्देशों को अपास्त करते हैं और यह निर्देश देते हैं कि प्रत्यर्थी को पुनर्नियुक्ति एवं पिछला वेतन देय होने के स्थान पर अपीलार्थी प्रत्यर्थी को मौद्रिक क्षतिपूर्ति के रूप में 50000 रूपए का भुगतान करेगा। खर्चे संबंधी कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा हैं।"

7. इस प्रकरण के विशिष्ट तथ्यों के दृष्टिगत हम निर्देश देते हैं कि प्रत्यर्थी को 50000 रूपये उसके दावे के पूर्ण और अंतिम समाधान के रूप में भुगतान किये जावे। पुनर्नियुक्ति एवं पिछला वेतन देय होने के निर्देश अपास्त किए जाते हैं।

8. अपील उपरोक्त सीमा तक खर्चे संबंधी कोई आदेश पारित किए बिना अंशतः स्वीकार की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुनील कुमार बिश्नोई (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।